



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 466 राँची, बुधवार, 18 भाद्र, 1948 (श०)
9 सितम्बर, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

24 अगस्त, 2026

संख्या-5/आरोप-01-01/2020-38560 (HRMS)--लोकायुक्त का कार्यालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-448 दिनांक 22.01.2020 द्वारा माननीय लोकायुक्त द्वारा दिनांक 09.01.2020 को पारित आदेश की प्रति उपलब्ध करायी गयी। माननीय लोकायुक्त द्वारा आदेश में जागो महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-242/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डू, रामगढ़ को वर्ष 2012-13 में इंदिरा आवास के आवंटन हेतु उपलब्ध करायी गयी सूची का सत्यापन लापरवाही पूर्वक करने संबंधी आरोप पर विधिसम्मत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई ।

उक्त अनुशंसा के आलोक में श्री महतो के विरुद्ध विभाग स्तर से आरोप पत्र गठित किया गया। आरोप पत्र में इनके विरुद्ध निम्नवत आरोप प्रतिवेदित किया गया-

1. अवर सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-448, दिनांक 22.01.2020 द्वारा परिवादी श्री विशाल कुमार मालाकार की शिकायत पर परिवाद संख्या-01/लोक(ग्रा०वि०वि०) 45/2017 में दिनांक 09.01.2020 को पारित आदेश की प्रति उपलब्ध करायी गयी है। पारित आदेश में आपके विरुद्ध प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डू, रामगढ़ के पदस्थापन अवधि में 2012-13 में इंदिरा आवास के आवंटन में अनियमितता बरतने के आरोप में उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है।

2. वित्तीय वर्ष 2012-13 की इंदिरा आवास योजना संख्या- 396/2012-13 में लाभुक उर्मिला देवी, पिता/पति-महेश रविदास को बी०पी०एल० संख्या-03810 पर इंदिरा आवास का लाभ दिया गया है, जबकि उक्त बी०पी०एल० संख्या उमेश पाण्डेय, पिता- रामधनी पाण्डेय के नाम पर है। इसी प्रकार योजना संख्या-398/2012-13 में लाभुक राजेश रविदास, पिता-बढ़न रविदास को बी०पी०एल० संख्या-04243 पर आवास का लाभ दिया गया है जबकि बी०पी०एल० संख्या-04243 बिशु प्रजापति, पिता- बालदेव प्रजापति के नाम पर है एवं योजना संख्या-802/2012-13 में लाभुक हेमलाल सिंह (विकलांग), पिता- चन्द्रनाथ सिंह को बी०पी०एल० संख्या-03596 पर इंदिरा आवास का लाभ दिया गया है जबकि उक्त बी०पी०एल० संख्या-03596 खेमलाल सिंह, पिता- चन्द्रनाथ सिंह के नाम पर है।

3. आपके द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में इंदिरा आवास आवंटन हेतु उपलब्ध करायी गयी सूची का सत्यापन लापरवाहीपूर्वक किया गया, जिस कारण अयोग्य/भिन्न व्यक्तियों को बिना किसी आधार के इंदिरा आवास का लाभ प्राप्त हो गया।

4. आपका उक्त कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 के प्रतिकूल है।

उक्त आरोपों पर श्री महतो से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, रामगढ़ से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-18507(HRMS), दिनांक 14.12.2022 द्वारा श्री महतो के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-413, दिनांक 06.08.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध गठित आरोप को प्रमाणित नहीं किया गया।

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत, श्री महतो विरुद्ध गठित आरोपों की पुनः जाँच करने हेतु विभागीय संकल्प सं०- 793, दिनांक 12.02.2026 द्वारा श्री अरुण वाल्टर संग्रा, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया तथा विभागीय कार्यवाही से संबंधित मूल अभिलेख को श्री संग्रा को वापस करते हुए दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों/सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया।

श्री अरुण वाल्टर संग्रा, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच-सह- संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-185, दिनांक 03.07.2026 द्वारा श्री महतो के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का पुनर्जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित पुर्नजाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध गठित एक भी आरोप को प्रमाणित नहीं किया गया है।

श्री महतो के विरुद्ध गठित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान, विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई।

अतः समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन/निष्कर्ष से सहमत होते हुए श्री जागो महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 242/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डू, रामगढ़ को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री जागो महतो, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	JAGO MAHTO 110011163087	समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन/निष्कर्ष से सहमत होते हुए श्री जागो महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 242/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डू, रामगढ़ को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
